कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 642 /मथुरा/19772/2016, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 21 , 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत मथुरा में कोसी–नन्दगॉव–बरसाना–गोवर्द्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः उ0प्र0शासन–पी–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक–14.10.2016 एवं पत्र संख्या–295/81–2–2020–800(138)/2016 दिनांक 12.05.2020 व पत्रांक संख्या–भा0स0– 83/81 –2–2020–800(138)/2016, दिनांक 14.07.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 14.10.2016 के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक–1050/14–1 दिनांक 16.09.2020 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**</u>

भवदीय

21/9

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांक– / मथुरा/19772/2016, उक्तदिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2– प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, मथुरा।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।